

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 04/01/2008

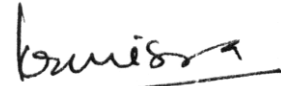
क्रमांक एफ-10/ 1 /2008/वाक/पांच (01) – छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से अधिसूचना क्रमांक एफ-10-33/2007/वाक/पांच (24) दिनांक 02.04.2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है,—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

- (i) अ.क्र. 14 के सामने कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट शर्तें एवं निर्बन्धन को विलोपित किया जाए।
- (ii) अ.क्र. 21 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाय।

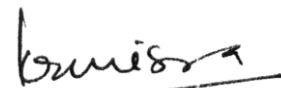
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 04/01/2008

क्रमांक एफ-10/ 1 /2008/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/1/2008/वाक/पांच(01), दिनांक 04/01/2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

**Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur**

NOTIFICATION

Raipur, Dated 04-01-2008

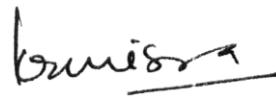
No. F-10/ 1 /2008/CT/V (01) - In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment with effect from the date of publication in official gazette in notification No. F-10-33/2007/CT/V (24) dated 02-04-2007,-

AMENDMENT

In Schedule to the said notification in-

- (i) The restrictions and conditions in column (4) against S.No. 14 shall be omitted.
- (ii) S.No. 21 and entry relating there to shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Mishra)
Joint Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 28/03/2008

क्रमांक एफ-10-30/2008/वाक/पांच (23) – छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976 में 1 अप्रैल, 2008 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

उक्त नियमों में,

(1) नियम 8 के उपनियम (1) के अंतर्गत विहित वर्तमान प्ररूप-सात के स्थान निम्नानुसार प्ररूप-सात प्रतिस्थापित किया जाय—

प्ररूप-सात

[देखें नियम 8(1)]

टिन (TIN)									
2	2								

विवरणी की अवधि							
प्रारंभ	दिवस	माह	वर्ष	से	दिवस	माह	वर्ष

(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु)

प्राप्ति दिनांक

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

व्यापारी का नाम

पता

दूरभाष/फैक्स नंबर

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शाखा कार्यालयों

का नाम एवं पता, यदि कोई हो—

1.
2.

1.	(एक)	कालावधि के दौरान कय किया गया माल का मूल्य	
	(दो)	कालावधि के दौरान कय से भिन्न तरीके से अर्जित किया गया या अभिप्राप्त किया गया माल का बाजार मूल्य	
योग (एक + दो)			

2.

कटौतियाँ:-

(एक)

अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट कर मुक्त माल

(दो)

स्थानीय माल

(तीन)

अनुसूची—तीन में विनिर्दिष्ट माल का स्थानीय क्षेत्र में विक्रय के लिये न कि उपभोग या उपयोग के लिये प्रवेश

(चार)

अनुसूची—दो में विनिर्दिष्ट माल जो कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क़य किये गये ऐसे स्थानीय माल से भिन्न है जिस पर विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा प्रवेश कर देय है या उसका भुगतान किया जाता है

(पांच)

अनुसूची—दो में विनिर्दिष्ट माल जो स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश के पश्चात राज्य के बाहर या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में बेचा जाता है,

(छः)

अनुसूची—तीन में विनिर्दिष्ट माल जिसका उपभोग या उपयोग के लिये राज्य के बाहर से आयात किया जाता है, किंतु जिसका व्ययन अन्य किसी रीति में किया गया है

(सात)

धारा 10 के अधीन प्रवेश कर से मुक्त माल

(आठ)

अन्य कटौतियां (विवरण दें)

(क)

(ख)

कुल कटौतियाँ :

3.

कर योग्य मात्रा -

क्र०	कर योग्य राशि	कर की दर	कर की राशि
1			
2			
3			
4			
5			
		योग	

4.

धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन मुजराई की राशि

5.

देय शुद्ध प्रवेश कर (3—4)

6.

ब्याज की राशि, यदि है

7.

योग (5+6)

8.

नई औद्योगिक इकाई के रूप में कर के भुगतान से छूट की पात्रता राशि

9.

शेष देय राशि [7-8]

10.

भुगतान विगत :-

क्र.	चालान क्रमांक	दिनांक	राशि	बैंक का नाम	शाखा
		योग :			

11. शेष देय राशि (यदि कोई है)
12. वापसी की राशि (यदि कोई है)
13. वापसी की राशि में से अगली तिमाही में समायोजित राशि

ऊपर दी गई विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पदनाम

व्यापारी की सील, यदि कोई है.....

अभिस्वीकृति

मेसर्स

(नाम)

टिन क्रमांक

2

2

से त्रैमासिक अवधिसे

.....का विवरण पत्र प्ररूप-सात में नीचे दर्शित चालानों के साथ प्राप्त हुआ:-

क्र.	चालान क्रमांक	दिनांक	राशि	बैंक का नाम	शाखा
		योग :			

विवरणी प्राप्ति क्रमांक

प्राप्तिकर्ता कर्मचारी के हस्ताक्षर,

दिनांक

नाम एवं पदनाम

कार्यालयीन सील

(2) वर्तमान नियम 8 के उपनियम (2) तथा उसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्ररूप-आठ के स्थान पर निम्नानुसार उपनियम तथा प्ररूप-आठ प्रतिस्थापित किया जाय-

(2) अधिनियम के अंतर्गत कर चुकाने के लिये दायी प्रत्येक व्यवसायी प्ररूप-आठ में एक वार्षिक विवरणी छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 एवं उसके

अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी के संबंध में निर्धारित तरीके से और तारीख तक प्रस्तुत करेगा:—

प्ररूप—आठ

[देखें नियम 8(2)]

टिन (TIN)									
2	2								

वार्षिक विवरणी की अवधि							
प्रारंभ	दिवस	माह	वर्ष	से	दिवस	माह	वर्ष

(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु)

प्राप्ति दिनांक

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

व्यापारी का नाम

पता

दूरभाष/फैक्स नंबर

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शाखा कार्यालयों का नाम एवं पता, यदि कोई हो—

1.

2.

भाग—क

1.	(एक)	कालावधि के दौरान कय किया गया माल का मूल्य	
	(दो)	कालावधि के दौरान कय से भिन्न तरीके से अर्जित किया गया या अभिप्राप्त किया गया माल का बाजार मूल्य	
		योग (एक + दो)	
2.	कटौतियाँ:-		
	(एक)	अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट कर मुक्त माल	
	(दो)	स्थानीय माल	
	(तीन)	अनुसूची—तीन में विनिर्दिष्ट माल का स्थानीय क्षेत्र में विक्रय के लिये न कि उपभोग या उपयोग के लिये प्रवेश	
	(चार)	अनुसूची—दो में विनिर्दिष्ट माल जो कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से कय किये गये ऐसे स्थानीय माल से भिन्न है जिस पर विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा प्रवेश कर देय है या उसका भुगतान किया जाता है	
	(पांच)	अनुसूची—दो में विनिर्दिष्ट माल जो स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश के पश्चात राज्य के बाहर या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में बेचा जाता है,	
	(छः)	अनुसूची—तीन में विनिर्दिष्ट माल जिसका उपभोग या उपयोग के लिये	

राज्य के बाहर से आयात किया जाता है, किंतु जिसका व्ययन अन्य किसी रीति में किया गया है

(सात) धारा 10 के अधीन प्रवेश कर से मुक्त माल

(आठ:) अन्य कटौतियां (विवरण दें)
(क)

(ख)

कुल कटौतियाँ :

3. कर योग्य मात्रा -

क्र०	कर योग्य राशि	कर की दर	कर की राशि
1			
2			
3			
4			
5			
		योग	

4. धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन मुजराई की राशि

5. देय शुद्ध प्रवेश कर (3-4)

6. ब्याज की राशि, यदि है

7. योग (5+6)

8. नई औद्योगिक इकाई के रूप में कर के भुगतान से छूट की पात्रता राशि

9. शेष देय राशि (7-8)

10. भुगतान विगत :-

क्र.	चालान क्रमांक	दिनांक	राशि	बैंक का नाम	शाखा
		योग :			

11. शेष देय राशि (यदि कोई है)
12. वापसी की राशि (यदि कोई है)
13. वापसी की राशि में से अगले वर्ष में समायोजित राशि

भाग—ख

घोषणा पत्र पर कर से छूट प्राप्त विक्रय की सूची

क्र0	व्यापारी का नाम पता सहित जिसे माल विक्रय किया गया	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक/टिन नंबर	विक्रय किये गए माल का विवरण	विक्रय राशि	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			योग		

टीप:— घोषणा पत्र संलग्न करें।

कर की रियायती दर से घोषणा पत्र पर विक्रय की सूची

क्र0	व्यापारी का नाम पता सहित जिसे माल विक्रय किया गया	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक/टिन नंबर	विक्रय किये गए माल का विवरण	कर की दर	विक्रय राशि	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				योग		

टीप:— घोषणा पत्र संलग्न करें।

ऊपर दी गई विशिष्टियों मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

पदनाम.....

व्यापारी की सील, यदि कोई है.....

अभिस्वीकृति

मेसर्स(नाम)

टिन क्रमांक

2	2								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

 सेसे.....तक

की अवधि का प्ररूप-आठ निम्नानुसार चालान/अभिलेखों के साथ प्राप्त हुआ:—

क्र.	चालान/अभिलेखों का विवरण	चालान/अभिलेखों की कुल संख्या	चालान/अभिलेखों की कुल राशि
(1)	चालान		
(2)			
(3)			
(4)			

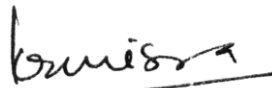
प्राप्ति क्रमांक

दिनांक

कार्यालयीन सील

.....
प्राप्तिकर्ता कर्मचारी के हस्ताक्षर,
नाम एवं पदनाम

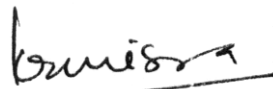
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 28/03/2008

क्रमांक एफ-10-30/2008/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-30/2008/वाक/पांच(23), दिनांक 28/03/2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 28/03/2008

No. F-10-30/2008/CT/V (23) - In exercise of the powers conferred by section 20 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Niyam, 1976 with effect from 1st April, 2008, namely,-

AMENDMENT

In the said rules,
(1) For the existing form-VII prescribed under sub-rule (1) of rule 8, the following form-VII shall be substituted-

FORM-VII

[See Rule 8(1)]

T I N									
2	2								

Return for the Period							
From	DD	MM	YY	To	DD	MM	YY

(For official use only)							
Date of receipt	D	D	M	M	Y	Y	Y
Signature							
Name							
Designation							

Name of the dealer

Address

Phone/Fax No.

Name and Address of Branch offices
within Chhattisgarh State, if any -
1.
2.

1.

(i)

Value of goods purchased during the period

(ii)

Market Value of goods acquired or obtained
otherwise than by way of purchase during the period

Total (i + ii)

2. **Deductions:-**

(i)Tax free goods specified in Schedule-I

(ii)Local goods

(iii)Goods specified in Schedule-III enter into a local area for sale but not for consumption or use

(iv)Goods specified in Schedule-II other than the local goods, purchased from a registered dealer on which entry tax is payable or paid by the selling registered dealer

(v)Goods specified in Schedule-II which after entry into a local area are sold outside the State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.

(vi)Goods specified in Schedule-III imported from outside the State for consumption or use but which have been disposed of in any other manner

(vii)Goods exempted from entry tax under Section 10

(viii)Other deduction (give details)

(a)

(b)

Total Deductions :

3. Taxable Quantum -

S.No.	Taxable Turnover	Rate of Tax	Tax Amount
1			
2			
3			
4			
5			
		Total	

4. Amount of setoff under sub-section (1) of Section 4

5. Net entry tax payable (3-4)

6. Amount of interest, if any

7. Total (5+6)

8. Amount of exemption from payment of tax

as New Industries

9. Balance payable amount (7-8)

10. Payment details:-

S.No.	Challan No.	Date	Amount	Name of Bank	Branch
		Total :			

11. Balance payable amount (if any)

12. Refund amount (if any)

13. Amount adjusted in next quarter from the amount of refund

The particulars given above are true to the best of my knowledge & belief.

Place.....

Signature

Date

Designation

Seal of dealer, if any.....

Acknowledgment

Received quarterly return for the period to
in form-VII from M/s
TIN

2	2									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 along with challans detailed below:-

S.No.	Chalan No.	Date	Amount	Name of Bank	Branch
		Total :			

Return receipt number
Date

Office Seal

.....
Signature, Name and
designation of employee
receiving return

(2) For the existing sub-rule (2) of Rule 8 and the Form-VIII prescribed thereunder the following sub-rule and Form-VIII shall be substituted:-

(2) Every dealer liable to pay tax under the Act shall furnish an annual statement in Form-VIII in the manner and by the date prescribed in respect of annual statement under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 and Rules made thereunder:-

FORM-VIII
[See Rule 8(2)]

T I N										Period of annual statement							
2	2									From	DD	MM	YY	To	DD	MM	YY

(For official use only)

Date of receipt	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Signature

Name

Designation

Name of the dealer
Address
Phone/Fax No.

Name and Address of Branch offices
within Chhattisgarh State, if any -
1.
2.

PART-A

1.	(i)	Value of goods purchased during the period	
	(ii)	Market Value of goods acquired or obtained otherwise than by way of purchase during the period	
		Total (i + ii)	
2.	<u>Deductions:-</u>		
	(i)	Tax free goods specified in Schedule-I	

(ii)Local goods

(iii)Goods specified in Schedule-III enter into a local area for sale but not for consumption or use

(iv)Goods specified in Schedule-II other than the local goods, purchased from a registered dealer on which entry tax is payable or paid by the selling registered dealer

(v)Goods specified in Schedule-II which after entry into a local area are sold outside the State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.

(vi)Goods specified in Schedule-III imported from outside the State for consumption or use but which have been disposed of in any other manner

(vii)Goods exempted from entry tax under Section 10

(viii)Other deduction (give details)

(a)

(b)

Total Deductions :

3. Taxable Quantum -

S.No.	Taxable Turnover	Rate of Tax	Tax Amount
1			
2			
3			
4			
5			
		Total	

4. Amount of setoff under sub-section (1) of Section 4

5. Net entry tax payable (3-4)

6. Amount of interest, if any

7. Total (5+6)

8. Amount of exemption from payment of tax as New Industries

9. Balance payable amount (7-8)

10. Payment details:-

S.No.	Challan No.	Date	Amount	Name of Bank	Branch

		Total :			

11. Balance payable amount (if any)
12. Refund amount (if any)
13. Amount adjusted in next year from the amount of refund

PART- B

List of tax exempted sales against declaration

S. No.	Name of dealer with Address to whom goods have been sold	R.C. No./ TIN No.	Description of goods sold	Amount of sale	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Total		

Note:- Enclose declaration forms.

List of sales against declaration at concessional rate of tax

S. No.	Name of dealer with Address to whom goods have been sold	R.C. No./ TIN No.	Description of goods sold	Rate of tax	Amount of sale	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Total		

Note:- Enclose declaration forms.

The particulars given above are true to the best of my knowledge & belief.

Place.....

Signature

Date

Designation

Seal of dealer, if any.....

Acknowledgment

Received annual statement for the period to
in Form-VIII from M/s

TIN

2	2									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 along with the following challans/documents:-

S.No.	Particular of Challans/documents	Total No. of Challans/documents	Total Amount of Challans/documents
(1)	Challan		
(2)			
(3)			
(4)			

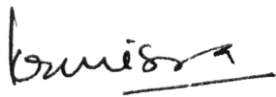
Receipt number

Date

Office Seal

.....
Signature, Name and
designation of employee
receiving return

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Joint Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 28/03/2008

क्रमांक एफ-10-30/2008/वाक/पांच (23) – छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976 में 1 अप्रैल, 2008 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

उक्त नियमों में,

(1) नियम 8 के उपनियम (1) के अंतर्गत विहित वर्तमान प्ररूप-सात के स्थान निम्नानुसार प्ररूप-सात प्रतिस्थापित किया जाय—

प्ररूप-सात

[देखें नियम 8(1)]

टिन (TIN)									
2	2								

विवरणी की अवधि							
प्रारंभ	दिवस	माह	वर्ष	से	दिवस	माह	वर्ष

(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु)

प्राप्ति दिनांक

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

व्यापारी का नाम

पता

दूरभाष/फैक्स नंबर

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शाखा कार्यालयों

का नाम एवं पता, यदि कोई हो—

1.
2.

1.	(एक)	कालावधि के दौरान कय किया गया माल का मूल्य	
	(दो)	कालावधि के दौरान कय से भिन्न तरीके से अर्जित किया गया या अभिप्राप्त किया गया माल का बाजार मूल्य	
योग (एक + दो)			

2.

कटौतियाँ:-

(एक)

अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट कर मुक्त माल

(दो)

स्थानीय माल

(तीन)

अनुसूची—तीन में विनिर्दिष्ट माल का स्थानीय क्षेत्र में विक्रय के लिये न कि उपभोग या उपयोग के लिये प्रवेश

(चार)

अनुसूची—दो में विनिर्दिष्ट माल जो कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क़य किये गये ऐसे स्थानीय माल से भिन्न है जिस पर विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा प्रवेश कर देय है या उसका भुगतान किया जाता है

(पांच)

अनुसूची—दो में विनिर्दिष्ट माल जो स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश के पश्चात राज्य के बाहर या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में बेचा जाता है,

(छः)

अनुसूची—तीन में विनिर्दिष्ट माल जिसका उपभोग या उपयोग के लिये राज्य के बाहर से आयात किया जाता है, किंतु जिसका व्ययन अन्य किसी रीति में किया गया है

(सात)

धारा 10 के अधीन प्रवेश कर से मुक्त माल

(आठ)

अन्य कटौतियां (विवरण दें)

(क)

(ख)

कुल कटौतियाँ :

3.

कर योग्य मात्रा -

क्र०	कर योग्य राशि	कर की दर	कर की राशि
1			
2			
3			
4			
5			
		योग	

4.

धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन मुजराई की राशि

5.

देय शुद्ध प्रवेश कर (3—4)

6.

ब्याज की राशि, यदि है

7.

योग (5+6)

8.

नई औद्योगिक इकाई के रूप में कर के भुगतान से छूट की पात्रता राशि

9.

शेष देय राशि [7-8]

10.

भुगतान विगत :-

क्र.	चालान क्रमांक	दिनांक	राशि	बैंक का नाम	शाखा
		योग :			

11. शेष देय राशि (यदि कोई है)
12. वापसी की राशि (यदि कोई है)
13. वापसी की राशि में से अगली तिमाही में समायोजित राशि

ऊपर दी गई विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पदनाम

व्यापारी की सील, यदि कोई है.....

अभिस्वीकृति

मेसर्स

(नाम)

टिन क्रमांक

2

2

से त्रैमासिक अवधिसे

.....का विवरण पत्र प्ररूप-सात में नीचे दर्शित चालानों के साथ प्राप्त हुआ:-

क्र.	चालान क्रमांक	दिनांक	राशि	बैंक का नाम	शाखा
		योग :			

विवरणी प्राप्ति क्रमांक

प्राप्तिकर्ता कर्मचारी के हस्ताक्षर,

दिनांक

नाम एवं पदनाम

कार्यालयीन सील

(2) वर्तमान नियम 8 के उपनियम (2) तथा उसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्ररूप-आठ के स्थान पर निम्नानुसार उपनियम तथा प्ररूप-आठ प्रतिस्थापित किया जाय-

(2) अधिनियम के अंतर्गत कर चुकाने के लिये दायी प्रत्येक व्यवसायी प्ररूप-आठ में एक वार्षिक विवरणी छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 एवं उसके

अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी के संबंध में निर्धारित तरीके से और तारीख तक प्रस्तुत करेगा:—

प्ररूप—आठ

[देखें नियम 8(2)]

टिन (TIN)									
2	2								

वार्षिक विवरणी की अवधि							
प्रारंभ	दिवस	माह	वर्ष	से	दिवस	माह	वर्ष

(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु)

प्राप्ति दिनांक

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

व्यापारी का नाम

पता

दूरभाष/फैक्स नंबर

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शाखा कार्यालयों का नाम एवं पता, यदि कोई हो—

1.

2.

.....

.....

भाग—क

1.	(एक)	कालावधि के दौरान कय किया गया माल का मूल्य	
	(दो)	कालावधि के दौरान कय से भिन्न तरीके से अर्जित किया गया या अभिप्राप्त किया गया माल का बाजार मूल्य	
		योग (एक + दो)	
2.	कटौतियाँ:-		
	(एक)	अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट कर मुक्त माल	
	(दो)	स्थानीय माल	
	(तीन)	अनुसूची—तीन में विनिर्दिष्ट माल का स्थानीय क्षेत्र में विक्रय के लिये न कि उपभोग या उपयोग के लिये प्रवेश	
	(चार)	अनुसूची—दो में विनिर्दिष्ट माल जो कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से कय किये गये ऐसे स्थानीय माल से भिन्न है जिस पर विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा प्रवेश कर देय है या उसका भुगतान किया जाता है	
	(पांच)	अनुसूची—दो में विनिर्दिष्ट माल जो स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश के पश्चात राज्य के बाहर या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में बेचा जाता है,	
	(छः)	अनुसूची—तीन में विनिर्दिष्ट माल जिसका उपभोग या उपयोग के लिये	

राज्य के बाहर से आयात किया जाता है, किंतु जिसका व्ययन अन्य किसी रीति में किया गया है

(सात) धारा 10 के अधीन प्रवेश कर से मुक्त माल

(आठ:) अन्य कटौतियां (विवरण दें)
(क)

(ख)

कुल कटौतियाँ :

3. कर योग्य मात्रा -

क्र०	कर योग्य राशि	कर की दर	कर की राशि
1			
2			
3			
4			
5			
		योग	

4. धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन मुजराई की राशि

5. देय शुद्ध प्रवेश कर (3-4)

6. ब्याज की राशि, यदि है

7. योग (5+6)

8. नई औद्योगिक इकाई के रूप में कर के भुगतान से छूट की पात्रता राशि

9. शेष देय राशि (7-8)

10. भुगतान विगत :-

क्र.	चालान क्रमांक	दिनांक	राशि	बैंक का नाम	शाखा
		योग :			

11. शेष देय राशि (यदि कोई है)
12. वापसी की राशि (यदि कोई है)
13. वापसी की राशि में से अगले वर्ष में समायोजित राशि

भाग—ख

घोषणा पत्र पर कर से छूट प्राप्त विक्रय की सूची

क्र0	व्यापारी का नाम पता सहित जिसे माल विक्रय किया गया	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक/टिन नंबर	विक्रय किये गए माल का विवरण	विक्रय राशि	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			योग		

टीप:— घोषणा पत्र संलग्न करें।

कर की रियायती दर से घोषणा पत्र पर विक्रय की सूची

क्र0	व्यापारी का नाम पता सहित जिसे माल विक्रय किया गया	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक/टिन नंबर	विक्रय किये गए माल का विवरण	कर की दर	विक्रय राशि	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				योग		

टीप:— घोषणा पत्र संलग्न करें।

ऊपर दी गई विशिष्टियों मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

पदनाम.....

व्यापारी की सील, यदि कोई है.....

अभिस्वीकृति

मेसर्स(नाम)

टिन क्रमांक

2	2								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

 सेसे.....तक

की अवधि का प्ररूप-आठ निम्नानुसार चालान/अभिलेखों के साथ प्राप्त हुआ:—

क्र.	चालान/अभिलेखों का विवरण	चालान/अभिलेखों की कुल संख्या	चालान/अभिलेखों की कुल राशि
(1)	चालान		
(2)			
(3)			
(4)			

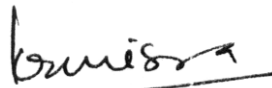
प्राप्ति क्रमांक

दिनांक

कार्यालयीन सील

.....
प्राप्तिकर्ता कर्मचारी के हस्ताक्षर,
नाम एवं पदनाम

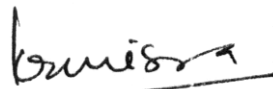
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 28/03/2008

क्रमांक एफ-10-30/2008/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-30/2008/वाक/पांच(23), दिनांक 28/03/2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 28/03/2008

No. F-10-30/2008/CT/V (23) - In exercise of the powers conferred by section 20 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Niyam, 1976 with effect from 1st April, 2008, namely,-

AMENDMENT

In the said rules,
(1) For the existing form-VII prescribed under sub-rule (1) of rule 8, the following form-VII shall be substituted-

FORM-VII

[See Rule 8(1)]

T I N									
2	2								

Return for the Period							
From	DD	MM	YY	To	DD	MM	YY

(For official use only)							
Date of receipt	D	D	M	M	Y	Y	Y
Signature							
Name							
Designation							

Name of the dealer
Address
Phone/Fax No.

Name and Address of Branch offices
within Chhattisgarh State, if any -
1.
2.

1.

(i)

Value of goods purchased during the period
- (ii)

Market Value of goods acquired or obtained
otherwise than by way of purchase during the period

Total (i + ii)

2. **Deductions:-**

(i)Tax free goods specified in Schedule-I

(ii)Local goods

(iii)Goods specified in Schedule-III enter into a local area for sale but not for consumption or use

(iv)Goods specified in Schedule-II other than the local goods, purchased from a registered dealer on which entry tax is payable or paid by the selling registered dealer

(v)Goods specified in Schedule-II which after entry into a local area are sold outside the State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.

(vi)Goods specified in Schedule-III imported from outside the State for consumption or use but which have been disposed of in any other manner

(vii)Goods exempted from entry tax under Section 10

(viii)Other deduction (give details)

(a)

(b)

Total Deductions :

3. Taxable Quantum -

S.No.	Taxable Turnover	Rate of Tax	Tax Amount
1			
2			
3			
4			
5			
		Total	

4. Amount of setoff under sub-section (1) of Section 4

5. Net entry tax payable (3-4)

6. Amount of interest, if any

7. Total (5+6)

8. Amount of exemption from payment of tax

as New Industries

9. Balance payable amount (7-8)

10. Payment details:-

S.No.	Challan No.	Date	Amount	Name of Bank	Branch
		Total :			

11. Balance payable amount (if any)

12. Refund amount (if any)

13. Amount adjusted in next quarter from the amount of refund

The particulars given above are true to the best of my knowledge & belief.

Place.....

Signature

Date

Designation

Seal of dealer, if any.....

Acknowledgment

Received quarterly return for the period to
in form-VII from M/s
TIN

2	2									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 along with challans detailed below:-

S.No.	Chalan No.	Date	Amount	Name of Bank	Branch
		Total :			

Return receipt number
Date

Office Seal

.....
Signature, Name and
designation of employee
receiving return

(2) For the existing sub-rule (2) of Rule 8 and the Form-VIII prescribed thereunder the following sub-rule and Form-VIII shall be substituted:-

(2) Every dealer liable to pay tax under the Act shall furnish an annual statement in Form-VIII in the manner and by the date prescribed in respect of annual statement under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 and Rules made thereunder:-

FORM-VIII
[See Rule 8(2)]

T I N										Period of annual statement							
2	2									From	DD	MM	YY	To	DD	MM	YY

(For official use only)

Date of receipt	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Signature

Name

Designation

Name of the dealer

Address

Phone/Fax No.

Name and Address of Branch offices
within Chhattisgarh State, if any -

1.

2.

PART-A

1.	(i)	Value of goods purchased during the period	
	(ii)	Market Value of goods acquired or obtained otherwise than by way of purchase during the period	
		Total (i + ii)	
2.	<u>Deductions:-</u>		
	(i)	Tax free goods specified in Schedule-I	

(ii)Local goods

(iii)Goods specified in Schedule-III enter into a local area for sale but not for consumption or use

(iv)Goods specified in Schedule-II other than the local goods, purchased from a registered dealer on which entry tax is payable or paid by the selling registered dealer

(v)Goods specified in Schedule-II which after entry into a local area are sold outside the State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.

(vi)Goods specified in Schedule-III imported from outside the State for consumption or use but which have been disposed of in any other manner

(vii)Goods exempted from entry tax under Section 10

(viii)Other deduction (give details)

(a)

(b)

Total Deductions :

3. Taxable Quantum -

S.No.	Taxable Turnover	Rate of Tax	Tax Amount
1			
2			
3			
4			
5			
		Total	

4. Amount of setoff under sub-section (1) of Section 4

5. Net entry tax payable (3-4)

6. Amount of interest, if any

7. Total (5+6)

8. Amount of exemption from payment of tax as New Industries

9. Balance payable amount (7-8)

10. Payment details:-

S.No.	Challan No.	Date	Amount	Name of Bank	Branch

		Total :			

11. Balance payable amount (if any)
12. Refund amount (if any)
13. Amount adjusted in next year from the amount of refund

PART- B

List of tax exempted sales against declaration

S. No.	Name of dealer with Address to whom goods have been sold	R.C. No./ TIN No.	Description of goods sold	Amount of sale	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Total		

Note:- Enclose declaration forms.

List of sales against declaration at concessional rate of tax

S. No.	Name of dealer with Address to whom goods have been sold	R.C. No./ TIN No.	Description of goods sold	Rate of tax	Amount of sale	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Total		

Note:- Enclose declaration forms.

The particulars given above are true to the best of my knowledge & belief.

Place.....

Signature

Date

Designation

Seal of dealer, if any.....

Acknowledgment

Received annual statement for the period to
in Form-VIII from M/s

TIN

2	2									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 along with the following challans/documents:-

S.No.	Particular of Challans/documents	Total No. of Challans/documents	Total Amount of Challans/documents
(1)	Challan		
(2)			
(3)			
(4)			

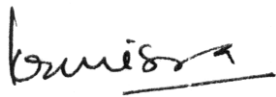
Receipt number

Date

Office Seal

.....
Signature, Name and
designation of employee
receiving return

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,


(K.R. Misra)
Joint Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल, 2008

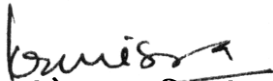
क्रमांक एफ-10/35/2008/वाक/पांच (30) – छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा 1 अप्रैल, 2008 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन

- अधिसूचना क्रमांक ए-3/28/2000/वि.क.-पांच (33) दिनांक 13.04.2000 की अनुसूची में अनुक्रमांक 3 के सामने कॉलम (4) में वर्तमान निर्बन्धन तथा शर्त के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्बन्धन तथा शर्त जोड़ी जाए:-
“2. निर्मित माल का विक्रय छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाए”
- अधिसूचना क्रमांक एफ-10-33/2007/वाक/पांच (24) दिनांक 02.04.2007 की अनुसूची में अनुक्रमांक 7 के सामने कॉलम (2) में शब्दों “फर्नेस आयल” का लोप किया जाय।
- अधिसूचना क्रमांक एफ-10-33/2007/वाक/पांच (24) दिनांक 02.04.2007 की अनुसूची में अनुक्रमांक 20, 39 एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाय।
- नीचे दी गई अधिसूचनाओं में अधिसूचना की कालावधि से संबंधित अंक “2008” के स्थान पर अंक “2009” प्रतिस्थापित किया जाय:-

अ.क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	ए-3/28/2000/वि.क./पांच (33)	13.04.2000
2.	एफ-10/41/2002/वाक/पांच (36)	25.04.2003
3.	एफ-10/20/2003/वाक/पांच (39)	01.05.2003
4.	एफ-10/47/2003/वाक/पांच (58)	17.06.2003
5.	एफ-10/70/2003/वाक/पांच (93)	06.10.2003
6.	एफ-10/29/2006/वाक/पांच (17)	30.03.2006
7.	एफ-10/58/2006/वाक/पांच (50)	28.04.2006
8.	एफ-10-33/2007/वाक/पांच (24)	02.04.2007

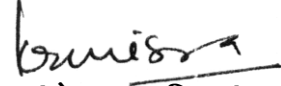
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल, 2008

क्रमांक एफ-10/35/2008/वाक/पांच-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/35/2008/वाक/पांच(30), दिनांक 1 अप्रैल, 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 1st April, 2008

No. F-10/35/2008/CT/V (30) - In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment with effect from 1st April, 2008,-

AMENDMENT

1. In Schedule to the notification No. A-3/28/2000/ST-V (33) dated 13-04-2000 in column (4) against S.No. 3 in addition to existing restrictions and conditions the following restrictions and conditions shall be added:-

“2. When finished goods are sold in the State of Chhattisgarh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.”

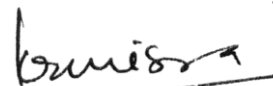
2. In Schedule to the notification No. F-10-33/2007/CT/V (24) dated 02-04-2007 in column (2) against S.No. 7 the words “furnace oil” shall be omitted.

3. In Schedule to the notification No. F-10-33/2007/CT/V (24) dated 02-04-2007 S.No. 20, 39 and entries relating thereto shall be omitted.

4. In the following notifications for the figure related to period of the notification “2008” the figure “2009” shall be substituted:-

S.No.	Notification No.	Date
(1)	(2)	(3)
1.	A-3-28/2000/S.T./V (33)	13-04-2000
2.	F-10/41/2002/CT/V (36)	25-04-2003
3.	F-10/20/2003/CT/V (39)	01-05-2003
4.	F-10/47/2003/CT/V (58)	17-06-2003
5.	F-10/70/2003/CT/V (93)	06-10-2003
6.	F-10/29/2006/CT/V (17)	30-03-2006
7.	F-10/58/2006/CT/V (50)	28-04-2006
8.	F-10-33/2007/CT/V (24)	02-04-2007

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,



(K.R. Misra)
Joint Secretary